

पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश

1. अररा हिल्स, तिलहन, मध्य प्रदेश
 Fax No. 0755-2552899, E-Mail - panchayat@mp.gov.in

क्रमांक/स्था.-4/जि0 ज0/432/पं.रा./2015/14415

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत-खरगोन
 मध्य प्रदेश।

29 SEP 2015
 शाखा-
 परि/परि.अधि. मु.का.अधि.

भोपाल, दिनांक 28.09.2015

विषय:- जिला पंचायत के मूल कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में।
 संदर्भ:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन का पत्र क्रमांक 6938 दिनांक 28.06.2015

-0-
 विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्री सतीश चन्द्र शुक्ला, लेखापाल जिला पंचायत खरगोन (मूल कर्मचारी) को दिनांक 28.02.2014 को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के परिपेक्ष्य में उल्लेख है कि जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु जिला एवं जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन अनुसार प्रकरण में मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में उल्लेखित नियमों के प्रावधान अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
 संलग्न :- उपरोक्तानुसार (आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(अशोक कुमार चौहान)
 संयुक्त संचालक (प्रशा.)
 पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.-4/जि0 ज0/432/पं.रा./2015/14416 भोपाल, दिनांक 28.09.2015
 प्रतिलिपि :-

1. श्री सतीश चन्द्र शुक्ला, लेखाधिकारी, जिला पंचायत खरगोन म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक (प्रशा.)
 पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन, म.प्र.
कमांक- 193 /जि.पं./स्थापना/2016

662
खरगोन, दिनांक 12/16
6-1-17

// आदेश //

म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-11-17/2014 /नियम /चार /दिनांक 30.09.2014 के द्वारा "सं" वर्ग तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को जिन्हें सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति /कमोन्नति /समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2014 से अथवा इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/स्था-4/जि.ज./432/पं. रा/2015/14415 भोपाल दिनांक 28.09.2015 अनुसार जिला पंचायत के निम्न कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन अनुसार तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने का लेख है।
अतः पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.12.2016 में हुए निर्णय एवं अनुमोदन अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत अन्तर्गत कार्यरत निम्न कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप तृतीय समयमान वेतनमान 9300-34800+ग्रेड-पे 3200 उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है :-

क.	नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत तृतीय समयमान वेतनमान
1	श्री सतीश शुक्ला लेखापाल	01.03.1984	28.02.2014	01.07.2014	9300-34800+ग्रेड-पे 3200
2	श्री विक्रमसिंह पाटील सहा.ग्रेड-2	15.02.1985	14.02.2015	15.02.2015	9300-34800+ग्रेड-पे 3200

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत खरगोन
खरगोन, दिनांक 12/16
6-1-17

पृ.कमांक- 194 /जि.पं./स्थापना/2016
प्रतिलिपि

- 1- आयुक्त पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
- 2- संयुक्त आयुक्त, (स्थापना) विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
- 3- संयुक्त आयुक्त, (स्थापना) आयुक्त कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर।
- 4- अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन।
- 5- वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला पंचायत खरगोन।
- 6- लेखा शाखा जिला पंचायत खरगोन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- श्री सतीश शुक्ला लेखापाल जिला पंचायत खरगोन की ओर सूचनार्थ।
- 8- श्री विक्रमसिंह पाटील सहायक ग्रेड-2 जिला पंचायत खरगोन की ओर सूचनार्थ।
- 9- संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत खरगोन